संख्या-188/2021/801/41-2021-28(बजट)/2021

प्रेषक,

शिव पाल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 04 मार्च 2021

विषय- जनपद गोरखपुर स्थित चिलुआताल का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेत भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5452/6-1-1 (1161)/2020 दिनांक 19 जनवरी 2021 एवं पत्र सं0-6447/6-1-1(1161)/2029-20 दिनांक 18 फरवरी 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से जिलाधिकारी गोरखपुर के पत्रांक-2402/रा0यो0/चिलुआताल/गोरखपुर/पर्यटन/2020-21 दिनांक 13 जनवरी 2021 द्वारा उपलब्ध कराया गया जनपद गोरखपुर स्थित चिलुआताल के विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण कार्य का आगणन कार्यदायी संस्था- उ0प्र0जल निगम से गठित कराकर स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में जिलाधिकारी गोरखपुर के पत्रांक-2788/रा0यो0/ गोरखपुर (चिलुआताल) /2020-21 दिनांक 17 फरवरी 2021 द्वारा जनपद गोरखपुर स्थित चिलुआताल के विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था- उ0प्र0जल निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू0-2356.77 लाख में ग्राम सिक्टौर व सोनबरसा तथा मराछी चन्दौर स्थित भूमिधरों से संबंधित कुल 185 गाटे रकबा 28.169 हेक्टेअर व ग्राम सभा की 5.401 हे0भूमि प्रस्तावित करते हुये काश्तकारों के रकबों/नम्बरों का विवरण उपलब्ध कराया गया है और यह उल्लेख किया गया है कि परियोजना हेतु कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की जा रही है बल्कि काश्तकारों से सहमति के आधार पर सर्किल रेट का 3/4 गुना मूल्य प्रतिफल के रूप में तय किया गया है जिसके आधार पर कुल 28.169 हेक्टेअर भूमि का मूल्यांकन रू0 229630675.00 किया गया है।

3- अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजनान्तर्गत भूमि क्रय/अर्जित करने हेतु महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से कार्यदायी संस्था. उ0प्र0जल निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन /प्रस्ताव के क्रम में रू0-2356.77 लाख (रूपये तेईस करोड़ छप्पन लाख सतहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-45- विभिन्न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पर्यटन स्थलों हेतु भूमि क्रय -60-भूमि क्रय में उपलब्ध धनराशि से प्रदान करते हुये प्रस्तावित भूमि का क्रय किये जाने हेतु जिलाधिकारी गोरखपुर के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(2) उपर्युक्त कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण/क्रय हेतु समस्त औपचारिकताओं यथा-वित्तीय एवं राजस्व नियमों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण/क्रय हेतु समस्त औपचारिकताओं यथा- वित्तीय एवं राजस्व विभाग द्वारा निर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेश आदि तथा भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण विषयक राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011, दिनांक 19 मार्च, 2015 में उल्लिखित प्रक्रिया/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोतों से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही वास्तविक देयता के आधार पर किया जायेगा ।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न कर कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार किया जाय तथा पूर्व वर्षो में इस मद में व्यय की गयी धनराशि का पूर्ण प्रामाणिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रस्तर-3 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तो एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन महानिदेशक पर्यटन/पर्यटन निदेशालय के वित्त नियंत्रक/ सम्बन्धित अधिकारी एवं जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(11) प्रस्तर-3 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि की स्वीकृति जिलाधिकारी गोरखपुर एवं महानिदेशक, पर्यटन पर्यटन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर दी जा रही है। यदि उक्त सूचना/विवरण में कोई विसंगति या त्रुटि पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व सम्बन्धित का होगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-427./दस-2021 दिनांक 04 मार्च ,2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव ।

<u>संख्या- 188/2021/801/41-2021-28(बजट)/2021 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर।
8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2 ।
9- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
10- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in